रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 316] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1979/श्रावण 13, 1901
No. 316] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1979/SRAVANA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मन्त्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1979

का. आ. 449(अ)/8 एफ बी/आर वि वि अ/79.—भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 27 जून, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 445(अ)/18कक/आ वि वि अ/72, तारीख 23 जून, 1972 द्वारा आंध्र सांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपट्टनम (जिसे इसमें इसको आगे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन 27 जून, 1972 से 26 जून, 1977 तक की जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 26 जून, 1980 तक बढ़ा दी गई है :

और केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 624(अ) 18चख/और वि वि अ/72 तारीख 25 सितम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसको आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषणा की थी कि सभी संविदाओं सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (आन्ध्र सांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपट्टनम जिसकी पछाकार थी) जो उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, प्रर्वतन 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाधताएं तथा दायित्व 24 सितम्बर, 1973 तक निलम्बित बने रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ा कर 24 सितम्बर, 1977 तक कर दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात्, आध्र सांइटिफिक इंस्ट्रूमेंट इण्डस्ट्री में उत्पादन के गिरावट को रोकने के लिए ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 25 सितम्बर, 1972 से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (आन्ध्र सांइटिफिक इंस्ट्रूमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मछलीपट्टनम जिसका पक्षकार थी या जो उसे लागू हो सकते हैं) प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उनके अधीन उस तारीख के पूर्व प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाधताएं तथा दायित्व निलम्बित रहेंगे । यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 26 जून, 1980 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगा ।

[फा. सं. 2/19/72 सी यू सी]

बा. राय, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1979

S.O. 449(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445(E)/18AA/IDAR/72, dated the 23rd June, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th June, 1972, the management of the whole of the Industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam (hereinafter referred to as the said Industrial undertaking) had been taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 27th June, 1972 upto and inclusive of the 26th June, 1977 ;

And whereas the duration of the said order was further extended from time to time upto the 26th June, 1980 ;

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 624(E)/18FB/IDRA/72, dated the 25th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all the contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standings orders or other instruments in force (to which the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam was a party or which may be applicable to it) immediately before the publication of the said order in the official Gazette shall remain suspended upto the 24th September, 1973, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973 ;

And whereas the duration of the said order was further extended from time to time upto the 24th September, 1977 ;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely the scientific instruments industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regultaion) Act, 1951, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam, was a party or which may be applicable to it) immediately before 25th September, 1972, shall remain suspended and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended. This order shall remain in force from the date of its publication in the official Gazette uptill and inclusive of the 26th June, 1980.

[File No. 2/19/72-CUC]

B. ROY, Joint Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979